

18/3/19

आपकी पत्र पं. P. O. का
युगाद कार्ड में व्यक्त है
अपने से ही गई। पुनः पुनः
दिनांक 18/3/19 को पत्र पं. 3

N.P
~~3~~

18/3/19

पत्रावली पत्र डूब जाणे
के अधिवक्ता श्री रामरूप
शर्मा उपरिपत्र अधिपत्र
की ओर से अधिवक्ता श्री
महेश शर्मा उपरिपत्र / अधिवक्ता
अपने उक्त अधिपत्र 212
Rt Act को आगे चलाना
नहीं चाहते हैं तथा खास
किसे जानने के निवेदन किम है
अधिवक्ता अपने के निवेदन
पर उक्त अधिपत्र पत्र कलकत्ता
द्वारा 212 Rt. Act को
Not Press में खास किम
जाता है पत्रावली केवल शुभ
होकर मम्बर से काग होवा
अति दाखिल इष्ट हो

Up
उपस्थित अधिकारी
कनवारा मन्ड

